(ग) देश के कितने ऐसे मतदाताओं के प्रार्थनापत्रों पर संबंधित चुनाव अधिकारियों ने मतदान के दिन ही विचार करके मतदान की स्वीकृति प्रदान की तथा कितने व्यक्तियों को इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि इस बात का सत्यापन करना श्रमसाध्य कार्य होगा कि 1980 की निर्वाचक नामावलियों में जो नाम दर्ज थे, उनमें से कितने नाम 1984 की निर्वाचक नामावलियों में दर्ज हुए और कितने छूट गए । आयोग का विचार है कि इस कार्य को करने में शायद ही कोई फायदा होगा क्योंकि इसमें जितना अधिक परिश्रम किया जाएगा उसका उतना परिणाम प्राप्त नही होगा । विशेष रूप से इसके ऐसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे मृत्यु, निर्वाचन-क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी न रह जाना, इत्यादि, जिनके परिणामस्वरूप पूर्वतर नामावलियों में दर्ज किए गए नाम 1984 की नामावलियों में दर्ज न हो पाए हों ।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के पश्चात् अधिनियम की धारा 22 के अधीन निर्वाचक नामावलियों में कोई भी प्रविष्टि न तो संशोधित की जा सकती है, न अन्यत्र रखी जा सकती है और न निकाली जा सकती है । और न ही निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित करने के लिए निदेश दिया जा सकता है । अत: निर्वाचन के दिन निर्वाचक नामवलियों में अपना नाम सम्मिलित कराने के लिए किसी व्यक्ति के आवेदन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और न उसका आवेदन ऐसे प्रक्रम पर ग्रहण किया जा सकता है । अत: ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसका नाम निर्वाचक नामावलियों में नहीं है, निर्वाचन-क्षेत्र में नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख को मत डालने की अनुज्ञा देने या किसी ऐसे आवेदन को अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Reported cases of booths capturing and rigging in Lok Sabha Elections

80. SHRl SURESH KALMADI:
SHRIMATI RODA MISTRY:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) how many instances of booths capturing and poll rigging were reported to the Election Commission in the recently concluded Lok Sabha Elections; and

(b) what action is being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The Election Commission has informed, that at the ' recently concluded general election to the Lok Sabha, reports were received from the Returning Officers of 53 parliamentary constituencies regarding the circumstances under which poll had to be adjourned in 8 polling stations and vitiated in 264 polling stations. The Commission ordered the completion of the adjourned poll under section 57 of the R.P. Act, 1951 and taking of fresh poll under section 58 of the Act, at the polling stations where the poll had been vitiated.

Newsprint policy

81. SHRIMATI RODA MISTRY: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether Government are aware that their newsprint policy for 1984-85 increasing the use of indigenous newsprint by newspapers from 50 per cent to 65 per cent has caused difficulties for publishers because of high price of indigenous newsprint, quality of indigenous newsprint being poor, and there being difficulties in procuring Ihe newsprint of appropriate sizes;

(b) if so, whether Government propose to consider amending the policy suitably; and